

डिकी मुल वाद मे अन्तिम डिकी बमुकदमे ईबतदाई

अ. आ. 20 नि. 6-7 व्या. प्रकिया संहिता

न्यायलय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रकरण स. 128/2024

रतनलाल पुत्र श्री भादरराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

छिन्द्रपाल कौर पत्नी स्व: श्री कृष्णलाल जाति कुम्हार(प्रजापति) 2 राजेन्द्र पुत्र स्व: श्री कृष्णलाल जाति कुम्हार(प्रजापति) 3 सोहनलाल पुत्र श्री भादरराम जाति कुम्हार(प्रजापति) 4 रूपराम पुत्र भादरराम जाति कुम्हार(प्रजापति) 5 मन्जू पुत्री स्व: श्री कृष्णलाल जाति कुम्हार(प्रजापति) 6 शारदा पुत्री स्व: श्री कृष्णलाल समस्त जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासीगण 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88,53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अनिल चोयल वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री शिवशंकर वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिकी दी जाती है एवं घोषित किया जाता है कि:-

वादी रतनलाल चक 12 एमजेडी खाता सं. 78/42 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 प.नं. 133/179 मु.नं. 18 कि.नं. 5/1/2028है.,5/2/026है.,गै.मु. रास्ता 5/3/025है.,6/1/228है., 6/2/025है.गै.मु.खाला, 15/1/228है.,15/2/025है. गै.मु.खाला 16/1/228है. 16/2/025है.गै.मु. खाला 25/1/228है.,25/2/025है.गै.मु. खाला, 10/253है. कुल 1.367है. नहरी + 0.151है.गै.मु. = 1.518है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि एवं प्र.स. 1 छिन्द्रपालकौर को चक 12 एमजेडी खाता सं. 78/42 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 प.नं. 133/179 मु.नं. 18 कि.नं. 4,7,14,17,24/253है.प्र. 1/1/228है.,1/2/025है.गै.मु. रास्ता कुल 1.493है. नहरी + 0.025है.गै.मु. = 1.518है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि एवं प्र.स. 3 सोहनलाल को चक 12 एमजेडी खाता सं. 78/42 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 प.नं. 133/179 मु.नं.18 कि.नं. 3/1/228है.,3/2/025है.,गै.मु. रास्ता 8,11,13,18, 20,23/253है.प्रत्येक 21/063है.,गै.मु.रास्ता कुल 1.809है. नहरी + 0.025है.गै.मु. = 1.834है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि तथा प्र.स. 4 रूपराम को चक 12 एमजेडी खाता सं. 78/42 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 प.नं. 133/179 मु.नं. 18 कि.नं. 2/1/228है., 2/2/025है., गै.मु. रास्ता, 9,12,19,22/253है.प्रत्येक 21/190है.,गै.मु.रास्ता कुल 1.430है. नहरी + 0.025है.गै.मु. = 1.455है. मय गै.मु. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार रकमराज अलग से कायम की जाती है। उक्तानुसार जमना देवी, राजेन्द्र, मन्जू व शारदा का नाम कलमजन किया जावे।

नोट:- यदि डिकित वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमलदरामद मुताबिक हक हिस्सा किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X...खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसुलयाबी तक ...X... को अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17.9.2023 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया